लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय

(द्वितीय अंक)

(हिंदी पखवाड़ा विशेषांक)

हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका (जुलाई-सितंबर,2019)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा

पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-2सी-25, ऑडिट भवन,

8वाँ तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा, मुंबई- 400 051

फैक्स-022 26573814 ई-मेल- mabmumbai2@cag.gov.in

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री तनुजा मित्तल

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-2

मुंबई

संरक्षक

डॉ. विशाल चवरे - निदेशक

श्री अविनाश जाधव - उप निदेशक

संपादक-मंडल

सुश्री मीना देशप्रभु	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सुश्री स्वप्ना फुलपाडिया	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सुश्री विद्या मुरलीधरन	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सुश्री कल्पना असगेकर	पर्यवेक्षक
श्री आनंद कुमार सिंह	कनिष्ठ अनुवादक

(रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण उत्तरादायित्व रचनाकारों का है - संपादक-मंडल)

अनुक्रमणिका

हिंदी दिवस 2019 के अवसर पर माननीय गृहमंत्री जी का संदेश	
संदेश	सुश्री तनुजा मित्तल, प्रधान निदेशक
संदेश	श्री विशाल चवरे, निदेशक
संदेश	श्री अविनाश जाधव, उप निदेशक
संपादकीय	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - सीएसआर	
नीलगिरी पर्वतमाला ट्रेकिंग अभियान	
हिंदी भाषा	
महिला सशक्तिकरण	
मुंबई का इतिहास	
गणेशोत्सव	
कार्यालय द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के समुद्री लॉजिस्टिक परिचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का सारांश	
राजभाषा संबंधी जानकारी	
सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं	
पाठकों की जानकारी के लिए कार्यालय ज्ञापन	
पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति	
कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम	
संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20	

सत्यमेव जयते

हिंदी दिवस 2019
के अवसर पर माननीय
गृह मंत्री जी का संदेश

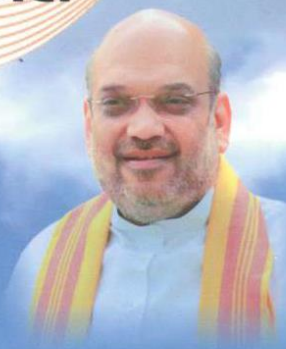

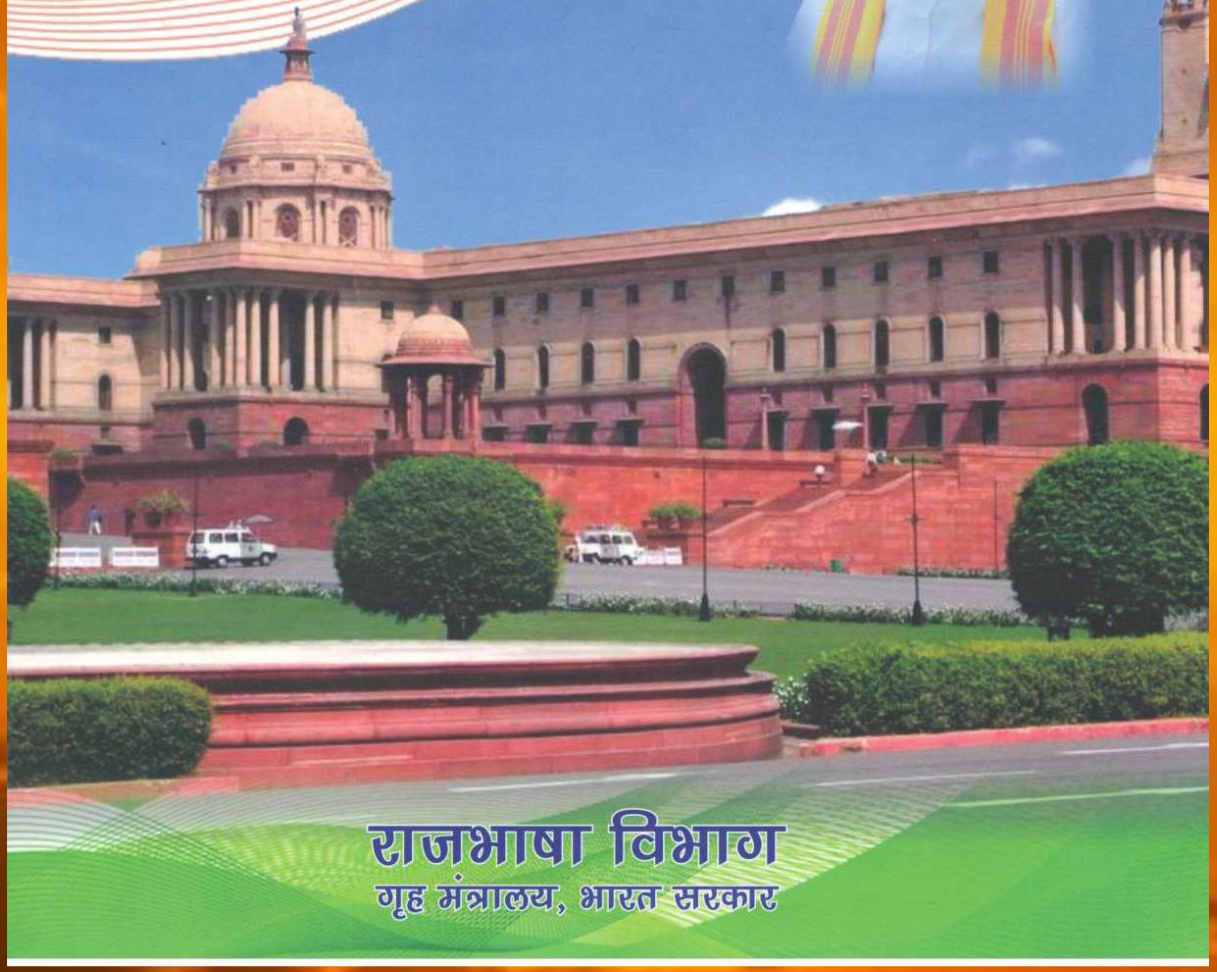

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

अमित शाह
गृह मंत्री
भारत
AMIT SHAH
HOME MINISTER
INDIA

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं !

हमारा देश विविध भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का देश है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास हिंदी भाषा में उपलब्ध है। हिंदी देश के सभी भाषा-भाषियों के मध्य भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषा में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं तथा बोलियों के भाव जीवंत हैं। भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और शासन के मध्य जन भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी एक उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वाधिक लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया एवं संविधान में इस संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।

अपनी भाषा में मौलिक लेखन और कामकाज से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और सरल होती है, जो अनुवाद की भाषा से संभव नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाए। मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दैनिक और सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिले।

उदारीकरण, भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद के इस युग में देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देते हुए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि अभियांत्रिकी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी का और अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **कंठस्थ** का निर्माण किया है। स्मृति आधारित इस अनुवाद कार्य प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें अनुवादक पूर्व में की गई अनुवाद सामग्री का पुनः प्रयोग कर सकता है जिससे समय की काफी बचत होती है। राजभाषा विभाग द्वारा जन-साधारण के लिए **लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप** तैयार किया गया है जिसके माध्यम से 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी अपनी मातृभाषाओं में निःशुल्क हिंदी सीख सकते है।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता के साथ करें, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन करते हैं। हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आम आदमी सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठा सके।

आइए ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के माध्यम से स्वदेशी विज्ञान की समृद्ध परंपरा को जन-जन तक पहुंचाकर शिक्षित, शक्तिशाली एवं नए भारत का निर्माण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से हिंदी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु विश्व पटल पर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण एवं समृद्ध भाषा के रूप में विश्व भाषा बनेगी।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं !

जय हिंद !

(अमित शाह)

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2019

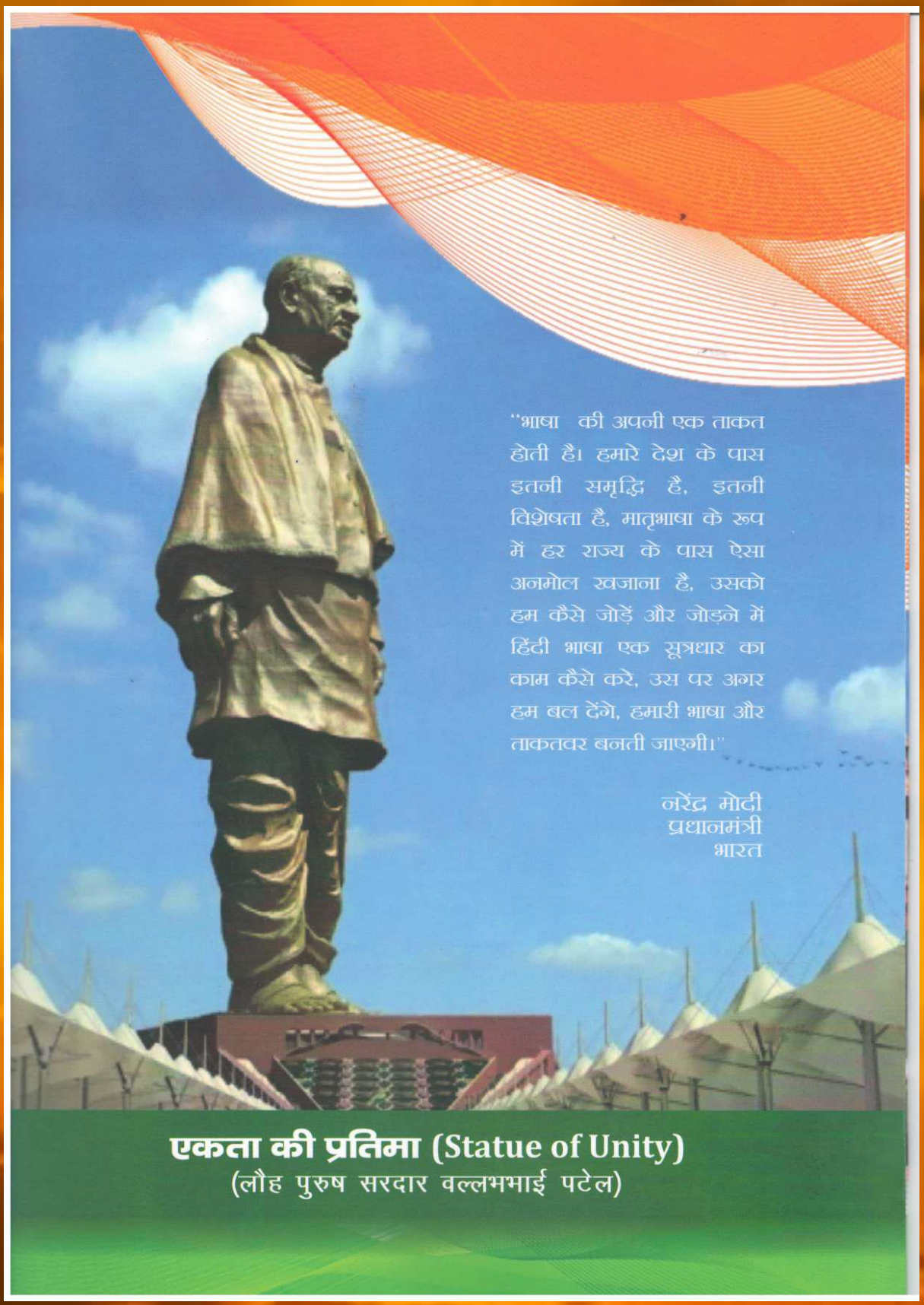
"भाषा की अपनी एक ताकत होती है। हमारे देश के पास इतनी समृद्धि है, इतनी विशेषता है, मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करे, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी।"
नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री
भारत
एकता की प्रतिमा (Statue of Unity)
(लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल)

संदेश

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी पत्रिका का द्वितिय अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक आनंद की अनुभूति हो रही है।

हम सभी को विदित है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राष्ट्र के एकीकरण की दृष्टि से हिंदी ही वह सर्वमान्य एवं सामर्थ्यवान भाषा है जो देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। अतः सभी कार्मिकों को कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के साथ साथ इसके प्रचार-प्रसार हेतु यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

अंत में मै उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ जिनके द्वारा दिए गए रचनाओं के सहयोग से पत्रिका का सफल प्रकाशन संभव हुआ है। मोतियों के रुप में प्राप्त रचनाओं से एक सुंदर हार की तरह पत्रिका के निर्माण हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मुझे आशा है कि हम सभी एक साथ मिलकर पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

(तनुजा मित्तल)

प्रधान निदेशक

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-2, मुंबई

संदेश

मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से कार्यालय की राजभाषा के प्रति लगनशीलता की जानकारी होती है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में इस पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

कार्यालय के इस कार्य की सराहना करते हुए हिंदी के प्रोत्साहन के लिए लगातार ऐसे प्रयास चलते रहें, ऐसी कामना करता हूँ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(विशाल चवरे)

निदेशक/तेल

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-2, मुंबई

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में विभागीय पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभागीय पत्रिकाएं कार्मिकों के लिए हिंदी में रुचि के प्रति वर्धक का कार्य करती हैं। पत्रिका के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

मैं पत्रिका के मुख्य संरक्षक प्रधान निदेशक महोदया के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरुप इस पत्रिका को गति मिली है। समस्त रचनाकारों को धन्यवाद तथा संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

इस आशा के साथ पत्रिका का द्वितीय अंक आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हुं कि इसे पढ़ने के पश्चात अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे।

(अविनाश जाधव)

उप निदेशक

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-2, मुंबई

संपादकीय

हमारे कार्यालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का द्वितीय अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

उच्च अधिकारियों की प्रेरणा, उत्साहवर्धन एवं सहयोग के फलस्वरुप राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के क्रम में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रचनाओं का संग्रह करके त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का द्वितीय अंक (जुलाई-सितंबर, 2019) आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रति निष्ठा एवं जागरुकता बढाने के साथ-साथ राजभाषा के प्रति रुचि जागृत करना है। पत्रिका में विभिन्न विषयों से संबंधित लेख, कविता आदि शामिल किए गए हैं।

राजभाषा हमारे देश की कार्यालयी कामकाज की भाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा के रुप में भी प्रयोग की जाती है। इसके विकास में अपना यथासंभव योगदान देने हेतु हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम सब को एक साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के विकास हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए।

अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने अमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने हेतु अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करें जिससे हमारे प्रयास को गति मिल सके।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - सीएसआर

किया सरकार ने अधिनियम, 2013 में संशोधन,

करके धारा 135 के अंतर्गत नियम 'सीएसआर' पर

बना भारत दुनिया का पहला देश

जिसने किया सीएसआर अनिवार्य हर कंपनी पर।

यह था लागू हर कंपनी पर,

जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष मे थी

₹500 करोड़ या अधिक रकम शुद्ध मूल्य पर,

या ₹1000 करोड़ या अधिक रकम कारोबार पर

या ₹5 करोड़ या अधिक रकम शुद्ध लाभ पर ।

था खर्च करना इन कंपिनियों को 2% पिछले तीन वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के औसत पर ।

हमने की थी समीक्षा सीएसआर पर

2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए 82 कंपनियों पर

और पाया इन 82 कंपनियों ने की थी

आवंटित ₹3452.77 करोड़ सीएसआर पर

और किया खर्च ₹ 3338.6 करोड़ सीएसआर पर

जिसमे थी ओएनजीसी सबसे ऊपर ।

82 कंपनियों द्वारा कुल 35 राज्यों मे हुआ खर्च सीएसआर पर

जिसमे सबसे आगे थी ओड़ीशा और थी अंडमान निकोबार आखरी स्थान पर

कंपनियों के स्थानीय क्षेत्रों में हुआ खर्च ₹ 2142.28 करोड़ सीएसआर पर

सीएसआर नियम 4(6) के अंतर्गत,

लागू थे 5% के सीमा रेखा प्रशासनिक उपरिव्यय पर

थे सफल 74 कंपनियाँ इस नियम के अनुपालन पर

इन 82 कंपनियों का उच्चतम खर्च क्षेत्र सीएसआर पर

रहा अधिकतम स्वास्थ्य (₹1090.41 करोड़) और शिक्षा (₹1067.79 करोड़) पर

और न्यूनतम रहा स्लम विकास (₹0.12 करोड़) पर,

गांधीजी के स्वप्नों को पूरा करने, चलाया अभियान सरकार ने स्वच्छ भारत पर

जिसके अंतर्गत करना था कंपनियों को 33% खर्च स्वच्छ भारत पर

थे सफल काफी हद तक पालन सभी कंपनियों द्वारा स्वछ भारत के इस अभियान पर ।

इस प्रकार, हो रहा समाज मे सुधार, कर पालन अधिनियम सीएसआर पर ।

रचनाकार: सुश्री व्ही. सरला

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

नीलगिरी पर्वतमाला ट्रेकिंग अभियान

हम तीन व्यक्ति (श्री सरोज प्रजापति, श्री संजय कोटलगी और श्री श्रीकांत सांगले) यूथ हॉस्टल असोशिएशन की तरफ से अक्टूबर, 2016 में आयोजित नीलगिरि फॉरेस्ट की पर्वत श्रृंखला (तमिलनाडु) के ट्रेकिंग पर 6 दिन के लिए गए थे। हम नौ लोगो का ग्रुप जिसमे एक महिला भी थी, सभी लोगो ने नीलगिरी के घने जंगलो मे पदयात्रा करते हुये इसे पार किया। इस उत्साही पदयात्रा का अनुभव आप लोगों से बाँट रहा हूँ ।

नीलगिरी जंगल जो एक विशिष्ट वन, पथरीला रास्ता, नीली झीलें, दूधिया झरने, विशाल बांध, समृद्ध हरी घास के मैदान, चाय के बागान और विशाल नीलगिरी के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अक्सर नीलगिरी लंगूर, , बाघ, जंगली सांड, हिरण आदि जंगली जानवर पाये जाते है। यह नीलगिरी हिल्स ट्रेक की विशिष्टता और लंबी पैदल यात्रा के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं ।

यह लंबी यात्रा ऊटी में शुरू और समाप्त होता है। इसमें पारसन की चोटी, पोर्थीमुंड, मुकुर्थी नेशनल पार्क, पांडियार हिल्स, पायकारा फॉल्स और मदुमलाई नेशनल पार्क शामिल हैं।

दिन 1 – ऊटी बस स्टैंड से पारसन घाटी (12 किमी)

ट्रेक का प्रारंभ बिंदु सैंडिनुल्ला जलाशय (Sandynulla reservoir) के दक्षिण-पूर्वी छोर से शुरू होता है। यह ऊटी बस स्टैंड से लगभग 6 किमी दूर है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगता है। जैसे ही आप नीचे आते हैं,

एक मिनट के भीतर, आप तमिलनाडु वन विभाग द्वारा लगाए गए हरे रंग के साइनबोर्ड (स्थानीय भाषा में) दिखेंगे। 15 मिनट के लिए कीचड़ ट्रैक पर लंबी पैदल यात्रा के बाद, आप देखेंगे कि गाड़ी मार्ग एक टार रोड से जुड़ता है। यहां तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। जलधारा पार करने के बाद पगडंडी अब नीचे की ओर जाती है । नीलगिरी के पेड़ों के साथ-साथ, आपको इस पथ पर देवदार के बहुत सारे पेड़ भी दिखाई देंगे। कुछ मिनटों में, विशाल हरे चरागाहों के साथ, सैंडिनुल्ला जलाशय (Sandynulla reservoir) के एक कोने पर एक विशाल हरे पानी के जलाशय को देखेंगे। आप हरियाली के आसपास मवेशियों को चरते हुए देख सकते हैं।

जल्द ही हम एक विशाल घास के मैदान में प्रवेश किए, जहां हम थोड़ी देर आराम किए। यहाँ, धीरे-धीरे पगडंडियाँ ऊपर की ओर उठती हैं और ठीक ऊपर चढ़ जाती हैं। कुछ मिनटों के बाद, हम जंगल में प्रवेश कर गए हमारी दाईं ओर सैंडिनुल्ला जलाशय का किनारा दिखा। इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग २ घंटे लग गए।

यहाँ से पगडंडी झील के किनारे तक जाती है और हमे एक छोटा सा गांव दिखा । ३० मिनट के बाद, हम झील के अंत तक पहुँच गए। झील को पार करने के बाद हम एक स्थान पर रुक गए इस बिंदु तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे। हम यहाँ लंच ब्रेक करने के बाद थोड़ा आराम किए। इसके बाद लगभग 45 मिनट की यात्रा के बाद हम पार्सन्स वैली चेक पोस्ट पर पहुँच गए, जहाँ आपको अपनी अनुमति दिखाने की आवश्यकता होती है। आप दायीं तरफ पार्सन्स घाटी ट्रेकिंग शेड का साइनबोर्ड देखते हैं। साइनबोर्ड का पालन करें। कुछ घंटो कि यात्रा के बाद, हम सभी लोग ट्रेकिंग शेड तक पहुँचे और पहले दिन कि यात्रा समाप्त किए।

दिन 2 - पार्सन्स घाटी से मुकुर्थी बांध (10 किमी)

हम सुबह पार्सन्स बांध (Parsons Dam) जो कि ट्रेकिंग शेड से लगभग 1 किमी दूर था का दौरा किए, बांध की शानदार सुंदरता देखकर हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए। नीले पानी में जंगल के प्रतिबिंब इतने स्पष्ट और अछूते थे, यहां समय बिताने के बाद ट्रेकिंग शेड वापस आ गए।

नाश्ता कर के और दोपहर का खाना टिफिन मे पैक करने के बाद अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की, एक संकरी पगडंडी से जाने के बाद हम घास के मैदानों की तरफ बढ़ गए , जहाँ से एक मैला पगडण्डी घनीभूत होकर पहाड़ी

पर चढ़ती थी। मॉनसून के दौरान पैच फिसलन भरा हो सकता है। हमे नीचे एक पानी की धारा दिखाई दी, धीरे-धीरे पहाड़ी पर चढ़ते हुये हम जंगलों मे आ गए, यहाँ से पगडंडी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ती जाती है और लगभग 20 मिनट में एक पुल तक पहुँच जाते है। यहाँ दोपहर का भोजन करने और अपनी पानी की बोतलों को फिर से भरने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए।

पुल को पार करते हुये और पानी की धारा को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जंगल के बाकी हिस्सों के अलावा, हमे नीलगिरी के बहुत सारे पेड़ दिखे, इस क्षेत्र में देवदार के पेड़ों का प्रभुत्व है। हरे-भरे घास के साथ विशाल देवदार के पेड़ देख सकते हैं जैसे बहुत कम ऊँचाई पर लटकते हुए पत्ते। हम घने जंगलो और झाड़ियों के बीच बहुत सावधानी से चल रहे थे और घना और संकीर्ण रास्ता सीधे झील पर समाप्त हुआ जो आगे सीधे मुकुर्थी बांध के पास शिविर स्थल तक जाती थी।

हमे बाँध की दीवार और बांध के द्वारों से बहने वाली पानी की पतली धारा दिखी जो नीचे के विशाल जलाशय में एकत्रित होती थी। इस जगह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे। हमे बांध के पास कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर मोबाइल नेटवर्क मिला, जिससे हम सभी बहुत खुश हुये और अपने घरो के लोगो से बातचीत की।

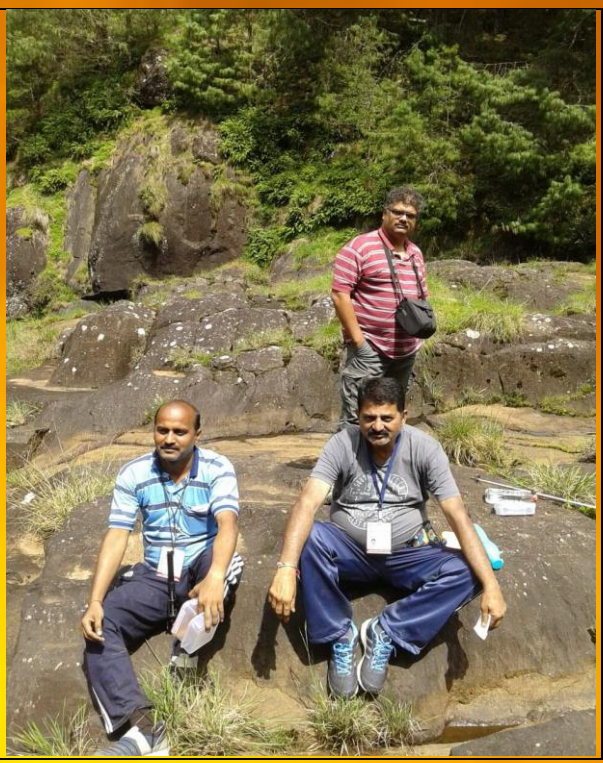

दिन 3 - मुकुर्थी बांध से पंडियार पहाड़ी (12 किमी)

मुकुर्थी बांध के पास का क्षेत्र बहुत सुंदर था। दिन के ट्रेक के लिए बाहर निकलने से पहले, हम लोग आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किए।सुबह का नाश्ते करने के बाद, हम पंडियार पहाड़ियों की तरफ बढ़ गए, जो ट्रेक का उच्चतम बिंदु था। कुछ मिनटों के बाद, हम एक संकरा कीचड़ भरा रास्ता मे आ गए जो घने जंगल की तरफ जाता था। कुछ समय के बाद हम मुकुर्थी बांध से छोड़े गए पानी से बनी एक पुलिया पर आ गए, यहाँ से हमे बांध के शानदार दृश्य दिखाई दिया जिसे सभी ने अपने मोबाइल कमेरों मे कैद कर लिए। पुल को पार करने के बाद हम मुकुर्थी बांध के सामने पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जो की बहुत कठिन चढाई थी। आसपास हरी घास के मैदान और ऊंचे देवदार के पेड़ों से गुजरते हुये हम आगे बढ़ रहे थे। पगडंडी फिर से घने जंगल में प्रवेश कर गयी और हम झाड़ियो के बीच मेसे आगे जा रहे थे, गाइड हमे कुछ पेड़ की तनाओ को काट कर रास्ता बना रहा था।

हमे जंगली जानवरों के पैरो के निशान दिखाई दिये और आगे बढने पर हमे हिरण, बंदर, लंगूर, बाईसन (Bison) इत्यादि जानवार दिखाई दिये । कुछ समय के बाद, हम एक घास के मैदान में प्रवेश किए, जहां हम सभी ने एक छोटा सा ब्रेक लिए। यहां से, खुले घास के मैदानों और जंगलों के बीच की पगडंडी पार करते हुये धीरे-धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद हम ऊचे स्थान पर पहुँच गए, जहां से नीचे की तरफ मुकुर्थी झील दिख रही थी।

यहां हम सभी ने लंच ब्रेक लिया और लगभग एक घंटा आराम किए और नीलगिरी के चारो तरफ' के जंगलो को करीब से देखा, सचमुच एक मनोहर दृश्य था। आज हमारे पास पर्याप्त समय था और हम सभी मस्ती करते हुये मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते मे कुछ मवेशी चरते हुये दिखाई दिये, हमे वन विश्राम गृह से पहले फिर से कुछ जंगली जानवर भी दिखाई दिये। आज का हमारा डेरा वन विश्राम गृह था जिसके पास से एक नदी गुजरती थी और पास मे एक झरना भी था। चाय पीने के बाद कुछ लोग झरना भी देखने गए। रात्री मे भोजन के पश्चात हम सभी ने गाने गाते हुये डांस भी किया। यहाँ रात मे जंगली जानवरो का खतरा था इसलिए गाइड ने हमे हिदायत दी थी कि रात के समय कमरे से बाहर मत निकलना।

दिन 4- पंडियार पहाड़ी से पायकरा जलप्रपात Pandiar Hills to Pykara Falls (16 किमी)

आज का सबसे लंबा ट्रेक था, इसलिए हमे थोड़ी जल्दी शुरुआत करनी पड़ी। रोज की तरह नाश्ता करने के बाद हमने अपना लंच बॉक्स पैक किया और अगले मंजिल की तरफ चल दिये, 20 मिनट लंबी पैदल यात्रा के बाद, एक संकीर्ण रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जो एक चाय की बगान मे प्रवेश कर रहा था, अचानक हमे चाय के बागान दिखाई दिये।

राह मे छोटी छोटी झोपड़ी, छोटा सा लकड़ी का पुल क्रॉस करते हुये आगे बढ़ रहे थे, पगडंडी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ती जा रही थी, हमे दूर बाईं ओर एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाई दिया । गाँव में एक छोटे से विराम के बाद, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ गाँव भी दिखाई दिये। गाँव से ठीक पहले, एक छोटी सी पगडंडी थी जो धीरे-धीरे पहाड़ी पर चढ़ती थी। आगे हमे पायकरा नदी और एक विशाल घास का मैदान मिला, जहां हमने एक छोटा ब्रेक लिए। इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 7 घंटे लगे। एक छोटे से विराम के बाद, हम फिर से आगे बढ़ गए, घने जंगलों से गुजरते हुये आखिर मे पायकरा वन विश्राम गृह मे पहुचे। इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगे।

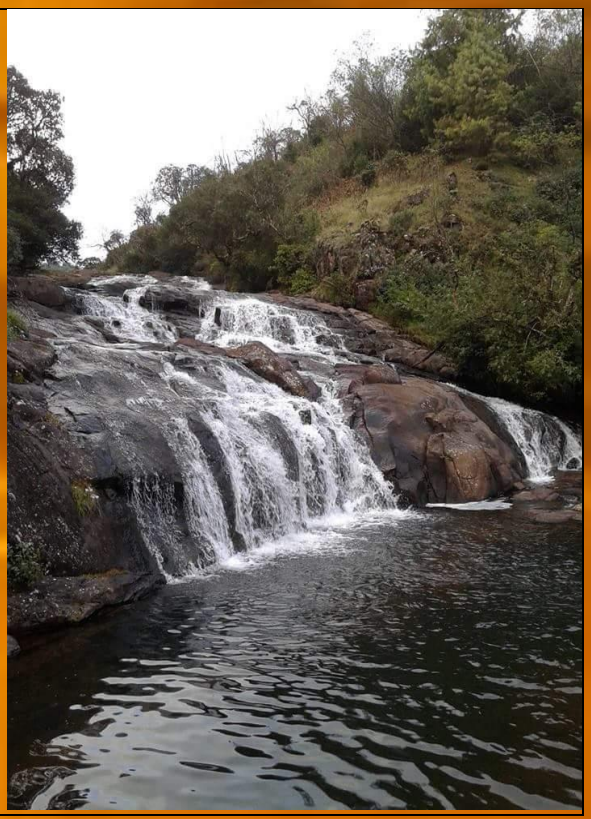

दिन 5- पायकरा जलप्रपात से मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान Pykara Falls to Madumalai National Park (12 किमी)

सुबह हम सभी ने पायकरा जलप्रपात की यात्रा की जो कि वन विश्राम गृह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। आकर्षक सफेद झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमे झरने के पास ऊंचे नीलगिरी के पेड़ों पर लंगूर और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट चलने के बाद, हम सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 67 पर आ गए, बाईं ओर एक मोड़ पर जाने के बाद हम ऐतिहासिक पायकरा बांध (Pykara dam) के गेट से प्रवेश किए । पायकरा बांध पर पहुंचने के बाद, बांध पर बने पुल पर दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। पुल को पार करने के बाद, हम बाईं ओर से जंगल में एक संकरा रास्ता से प्रवेश किए।

कुछ मिनटों के लिए घूमने के बाद, हमे कुछ खेत और नीलगिरी के पत्ते सूखने के लिए चारों ओर फैले हुए दिखाई दिये। कुछ स्थानों पर एक विशाल ढेर के रूप और कुछ झोपड़ी की दीवारों पर फैला हुआ था। हमने झोपड़ी में प्रवेश करके, उस प्रक्रिया को देखे जिसके माध्यम से नीलगिरी का तेल सूखे पत्तों से निकाला जाता था।

झोंपड़ी को पार करने के बाद, हम जंगल में प्रवेश किए और एक पगडंडी पर चलते हुये जंगल और घास के मैदानों से गुजर रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद, दाहिनी ओर की झोपड़ियों को दरकिनार करते हुए पहाड़ी से बाईं ओर जाते हुए आगे बढ़ते रहें। हमे नीचे की तरफ सड़क पर वाहन दिखे और टोडा जनजातियों के गाँव और उनकी पारंपरिक झोपड़ियाँ भी दिख रही थी। आगे चलते हुये हम सभी 9 माइल शूटिंग पॉइंट पर पहुंच गए जहां सभी ने इस सुंदर और मनमोहक जगह का फोटो खिचे, चूंकि यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नीचे सड़क तक पहुँचने में एक और 10 मिनट लगे, जहां से हम लोग वाहन द्वारा मदुमलाई वन अभ्यारण्य में एक रिसॉर्ट या ट्रेकिंग शेड में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे।

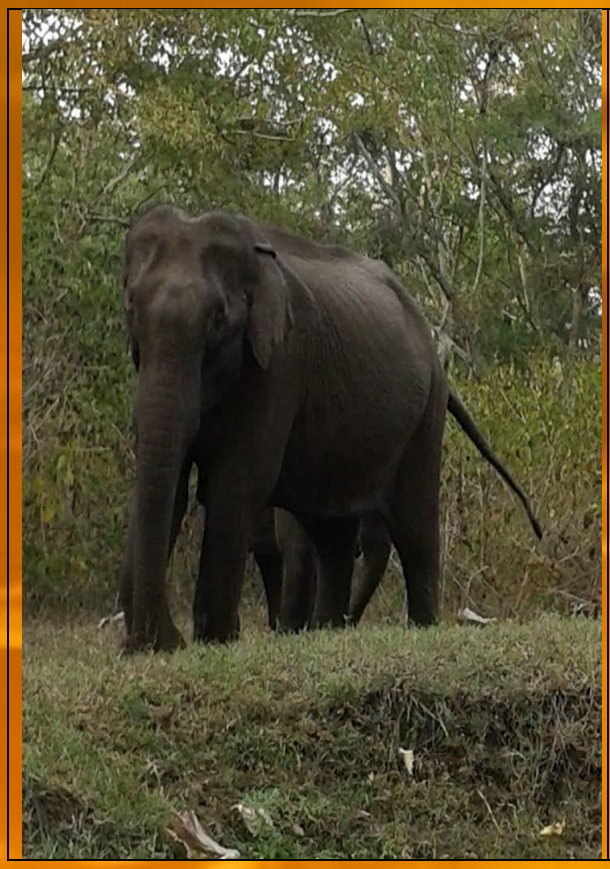

दिन 6- मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान सफारी

आप सुबह हम मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलो मे सफारी पर गए जहां हाथियो का झुंड था, हमे हिरण, मोर और बहुत सारे जंगली जानवर भी दिखाई दिये । अंत मे हम सभी यूथ हॉस्टल के कार्यालय मे पहुंच कर प्रमाण पत्र लिए और इस प्रकार हमारी शानदार यात्रा, कभी न भूलने वाली सुखद अनुभव के साथ समाप्त हुई।

लेखक

सरोज प्रजापति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

संजय कोटलगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

हिंदी भाषा

हिंदी हमारे देश की एक शक्तिशाली भाषा है क्योंकि वह देश के बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा समझी एवं बोली जाती है। इस भाषा को बोलने वाले पूरे भारत में रहते हैं। यह भाषा समृद्ध साहित्य से संपन्न है तथा दिन प्रतिदिन अपने विकास की ओर बढ रही है। देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को अपने अस्तित्व के संबंध में हिंदी से कोई खतरा नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का रिश्ता ऐसा है जैसा एक बहन का दुसरी बहन के साथ होता है। भारतीय संस्कृति में अपने प्रभाव से सभी को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश के विभिन्न भागों के लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत समर्पित और दृढ़ हैं। प्रत्येक देशवासी अपनी भाषा के प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव रखते हैं। यदि हम हिंदी का विकास करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी की सीमा निर्धारित करनी होगी तथा स्थानीय भाषा के प्रति सम्मान दर्शाने के साथ-साथ हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए।

जिस तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं के लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में आकर हिंदी भाषी लोगों से व्यवहार करते हुए हिंदी सीख गए हैं और हिंदी में व्यवहार करते हैं लेकिन अपने घरों में और बाहर भी आपस में अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करके उसे भी सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी का सहारा ना लेकर हिंदी या स्थानीय भाषा को ही अपनाना चाहिए और अपने घरों में अपनी मातृभाषा में ही बात करना चाहिए जिससे अंग्रेजी का प्रयोग सिमित हो जाएगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी। इस तरह सभी भारतीय भाषाएं सर्वग्रासी अंग्रेजी से सुरक्षित भी हो जाएंगी और उनकी आपसी समरसता का विकास भी तीव्र गति से हो सकेगा। इस प्रकार से भाषा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी को समान रुप से स्वीकार होगी।

अतः एकता और अखंडता की भावना विकसित करने हेतु हिंदी की पहुंच प्रत्येक देशवासी तक होनी चाहिए और इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलकर अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए ।

आनंद कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

महिला सशक्तिकरण

हम सभी जानते है कि आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति उचित स्तर पर नही है और हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए । लैंगिग समानता लाने के लिये हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसे आसान भाषा में कह सकते है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में लाने के लिए महिला सशक्तिकरण करना जरुरी है। महिला सशक्तिकरण अर्थात "नारियों को अपने निर्णय खुद लेने हेतु सक्षम बनाना और उनकी सोच को बदलना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है"।

भारत एक पुरुष प्रधान देश है । देश की आधी शक्ति महिलाओं को केवल घर में काम करने और घर सँभालने पर मजबूर किया जाता है।पुरुष शायद ये नही जानते है कि महिलाएं इस समाज की आधी शक्ति है और पुरुष और महिला दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चले तो ये देश की पूरी शक्ति बन जायेगी तथा हमारा देश विकासशील देश से विकसित की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। शायद ये पुरुषों को नही पता है कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली है। भारत के सभी पुरुषों के लिए जरुरी है कि वो नारी के शक्ति को समझे और उनको आत्मनिर्भर बनाये और देश और परिवार में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उनको आगे बढ़ने दे।

बिना महिला सशक्तिकरण के हमारे देश और समाज में नारी को उसका असली स्थान नही मिल सकता है जिसकी वो हमेशा से हक़दार रही है। बिना महिला सशक्तिकरण के महिलायें सदियों पुरानी परम्पराओं का सामना नही कर सकती है और ये वही पुरानी रीतियों और मूढ़ताओं में फंसी रहेंगी। यही कारण है कि नारियाँ सभी बन्धनों से मुक्त होकर निर्णय नही ले सकती। हमें अपनी और उनकी सोच को बदलना होगा ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसले ले सके।

महिला सशक्तिकरण से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते है ।उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए विश्व में नारी शक्ति को जगाने के लिए हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल महिला सशक्तिकरण पर नारियों उत्साहित करने के लिए एक नया थीम दिया जाता है। वर्ष 2017 में इसके लिए थीम था "Be bold for change" इसका अर्थ होता है "महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए महिलाओं को साहसिक होकर खुद आगे आना होगा"।

हमारे ग्रंथो मे भी लिखा है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" इसका अर्थ है जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते है। हमारे देश में नारियों को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है जैसे दहेज़ प्रथा। ये एक ऐसी प्रथा है जो प्राचीन समय से चली आ रही

है। शादी के दौरान लड़के वाले बिना किसी डर के दहेज़ मांगते है। ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी नही उसको बेचने का काम है। हम सभी को मिल कर दहेज़ प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए और नारियों को उनके अधिकारों के अनुसार किसी को भी चुनने का मौका दिया जाना चाहिए।

हमारे देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता है और कहीं न कहीं यही वजह है की उनको आने से पहले ही हम ख़त्म कर देते है। लेकिन वर्तमान समय में धीरे-धीरे बदलाव के बाद अब कन्या भ्रूणहत्या की दर बहुत ही कम हुई है और ये सभी संकेत है कि लोग महिलाओं के अधिकारों को समझने लगे है।

धीरे धोरे हमारे देश की महिलाएं आगे आ रही है । महिला सशक्तिकरण से सभी नारियों को हिम्मत मिल रही है। आज के इस ज़माने में बहुत सी लड़कियां डाक्टर, इंजिनियर, वकील, आईएएस और पीसीएस जैसे पद पर काम कर रही है लेकिन इतने बदलाव के बाद भी अभी भी बहुत से राज्यों के छोटे छोटे गावं में कुछ बदलाव बाकी है और वहां के लोगो को भी जागरूक करना होगा।

हमें मिल कर महिला सशक्तिकरण पर अमल करना चाहिए क्योंकि हम सभी के प्रयास से ही इस देश की सोच बदल सकती है। अगर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच बदल ले तो पूरे देश की सोच बदल सकती है।

हरीश कुमार

आंकडा प्रविष्टि प्रचालक

मुंबई का इतिहास

मुंबई जिसे पूर्व में बंबई के नाम से जाता था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई बन्दरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बन्दरगाह है। पश्चिमी देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं, इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेशद्वार कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है । मुंबई भारत का सर्ववृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र भी है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। नगर में भारत का हिन्दी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है, जो बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न समाजों व संस्कृतियों का मिश्रण देखा जा सकता है।

इतिहास

प्राप्त प्राचीन अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण 250 ई.पू तक मिलते हैं, जिसके अनुसार इसे हैप्टानेसिया कहा जाता था। सम्राट अशोक महान के शासन के दौरान यह द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग था। कुछ शताब्दियों में मुंबई सातवाहन साम्राज्य व इंडो-साइथियन वैस्टर्न सैट्रैप के नियंत्रण के बीच विवादित था। गुजरात के राजा के अधिकार करने से पूर्व हिन्दू सिल्हारा वंश के राजाओं ने यहां 1343 तक राज्य किया। कुछ पुरातन नमूने, जैसे ऐलीफैंटा गुफाएं, बालकेश्वर मंदिर आदि अपनी कहानी स्वयं कहते हैं।

पुर्तगालियों ने 1534 में गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह हासिल किया जो कि बाद में चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप दिए जाने के पश्चात इंग्लैंड को मिल गया। 1687 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना मुख्यालय सूरत से मुंबई में स्थानांतरित किया और अंततः यह नगर बंबई प्रेसीडेंसी का मुख्यालय बन गया।

भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन सन 1853 में स्थापित हुई जिसने मुंबई को ठाणे से जोड़ा। बंबई प्रेसीडेंसी की राजधानी के रूप में, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा। मुंबई में इस संग्राम की प्रमुख घटना 1942 में महात्मा गाँधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत, यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1955 के बाद, जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया। 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। आधिकारिक रूप से सन 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा है। इसका नाम मुंबा देवी है के नाम से पड़ा है जो हिन्दू देवी दुर्गा का ही एक रुप हैं। 'मुंबई' नाम के पहला शब्द मुंबा या महा-अंबा देवी के नाम से रखा गया है। वहीं आखिरी शब्द आई जिसे मराठी में 'मां' कहते हैं, से पड़ा है ।

गणेशोत्सव

गणेशोत्सव हिन्दुओं का एक लोकप्रिय उत्सव है जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह उत्सव पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । महाराष्ट्र राज्य में गणेशोत्सव अपनी लोकप्रियता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह उत्सव हिन्दू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी (चार तारीख से चौदह तारीख तक) तक दस दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है।

भगवान गणेश की प्रतिष्ठा सम्पूर्ण भारत में समान रूप में व्याप्त है। महाराष्ट्र में इंसे मंगलकारी देवता कहा जाता है तथा मंगलपूर्ति के नाम से इनकी पूजा की जाती है। भगवान गणेश हिन्दुओं के प्रथम पूज्य देव के रुप में माने जाते हैं है। हिन्दू धर्म में भवान गणेश का एक विशेष स्थान है। प्रत्येक धार्मिक आयोजन निर्विघ्न रुप से संपन्न हो, इसके लिए सर्वप्रथम इनकी वंदना एवं पूजा की जाती है । महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं के समय में ही हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी भगवान गणेश की उपासना करते थे।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणोत्सव को एक विशेष स्वरूप दिया जिससे गणेश पूजा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए लोकप्रिय हो गया। तिलक जी के प्रयास से पूर्व गणेश पूजा का आयोजन अलग अलग परिवार तक ही सीमित था। गणेश पूजा के भव्य आयोजन से इसे सार्वजनिक महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जाने लगा ।

सभी जातियो व धर्मो को एक साझा मंच देने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में सार्वजानिक गणेश पूजन का आयोजन किया जिसमें सभी लोंगो ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

आज महराष्ट्र ही नही पूरे देश में गणेश पूजा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेशोत्सव में सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देकर इस उत्सव का आनंद उठाते हैं।

रुपेश कुमार
लिपिक/टंकक

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth and Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
2019 की सं. 7
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालनों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्तें) अधिनियमावली, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों, 2014 के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि को शामिल किया गया है । प्रतिवदेन तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा पर आधारित है तथा यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2002 की प्रतिवेदन संख्या 4 तथा 2005 की प्रतिवेदन संख्या 6 (वाणिज्यिक) की अनुवर्ती कार्रवाई है जो पश्चिमी अपतट में ओएनजीसी के समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालन के निष्पादन को शामिल करता है। यह प्रतिवेदन 2012-13 से 2016-17 तक की समयावधि के दौरान समुद्र तटीय आधार प्रबंधन सहित समुद्री लौजिस्टिक्स परिचालनों के अतिरिक्त क्षेत्रों के निष्पादन के साथ-साथ पूर्व के दो प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के स्थिति की जांच करता है।

एक समेकित तेल तथा गैस अन्वेषण तथा उत्पादन कम्पनी ओएनजीसी देश के हाइड्रोकार्बन आउटपुट (2016-17) में 64 *प्रतिशत* योगदान करती है। कम्पनी की समुद्री लौजिस्टिक्स सेवाएं विभिन्न प्रकार की सामग्री/उपस्करों को एकत्र करके तथा उनकी आपूर्ति करके अपतट प्लेटफॉर्म तथा रिगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, यह सुरक्षा सेवाएं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिग को स्थानांतरित करने के लिए इन अपटत कार्य स्टेशनों तथा टोइंग सेवा भी प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने प्रकाशित किया कि त्रुटिपूर्ण योजना की वजह से पोतों का परिनियोजन कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य सुरक्षा (स्टैण्डबाई) कार्य, अनुभवहीन ठेकेदार को ठेका देने की वजह से नए पोतों की सुपुर्दगी में विलम्ब, निविदाकरण प्रक्रिया में विलम्ब, निर्धारिती समय-सारणी का क्रियान्वयन न करने की वजह से पोतों का अधिक प्रतिवर्तन

काल, अभावपूर्ण मालसूची प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना आदि कार्य उचित ढंग से नही हो पाया ।।

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और ओएनजीसी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

राजभाषा संबंधी जानकारी

संविधान का अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा--

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

संविधान का अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने वाले दस्तावेज --

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात

1- सामान्य आदेश (General Orders)

2 -संकल्प(Resolution)

3- परिपत्र(Circulars)

4-नियम(Rules)

5- प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports)

6- प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques)

7- संविदाएं(Contracts)

8- करार(Agreements)

9- अनुज्ञप्तियां(Licenses)

10- निविदा प्रारुप (Tender Forms)

11- अनुज्ञा पत्र (Permits)

12- निविदा सूचनाएं (Tender Notices)

13- अधिसूचनाएं(Notifications)

14- संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

नियम-5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

नियम-6 हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

नियम 9 : हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली

है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में

हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

नियम 10 : हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

=> केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 : अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है औरइस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उतीर्ण करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन

1- **वैयक्तिक वेतन-** हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)

तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)]

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[(का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017)]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2- **नकद पुरस्कार-** हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 400/-

(2) प्रवीण

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 1800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1200/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 600/-

(3) प्राज्ञ

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1. हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा रुपया 1600/-
2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा रुपया 1500/-
3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा रुपया 2400/-
4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा रुपया 1600/-
5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा रुपया 3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

3- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमशः: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है|

(आदेश सं. 13034/12/2009-रा. भा.(नीति)

4- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है-

केंद्र सरकार के प्रत्येक मत्रालय/विभाग/संम्बंध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/-रुपये

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/-रुपये

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/-रुपये

(का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016)

योजना के लिए मुख्य मार्गदर्शी निम्नानुसार हैं:-

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं|

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं|

केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें| इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के आलावा हिंदी में किये गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किये जायेगें|

आशुलिपि/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे| इनमें से 70 अंक हिंदी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 प्रतिशत अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे|
(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत अंको का लाभ दिया जायेगा| ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा| ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं|

महत्वपूर्ण अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 531(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) संशूधन नियमावली, 2019 है,

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 में -

(क) उपनियम (3) में खंड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् -

"(i) किसी भी समूह "क" या "ख' को धारण करने वाले सरकारी सेवक के मामले में पांच हजार रुपए, और

(ii) किसी भी समूह "ग" पद को धारण करने वाले सरकारी सेवक के मामले में दो हजार रुपए।"

(ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य या अन्यथा होते हुए एक सरकारी सेवक, समय समय पर यथा संशोधित विदेशी अभिदाय (दान या भेंट की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012 के उपबंधो के अनुसार विदेशी उच्च पदाधिकारियों से दान प्राप्त और प्रतिधारित कर सकता है।"

[फा.सं. 11013/02/2019-स्था.ए.III]

सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव

हिंदी - हमारी राज भाषा

पदोन्नति

श्री मनोज राजू सोलंकी, लिपिक/टंकक पदोन्नति के फलस्वरुप लेखापरीक्षक के पद दिनांक 26/09/2019 को कार्यभार ग्रहण किए।

सेवानिवृत्ति

श्री एस.जे. पुराणी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी अपना सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 31/08/2019 को सेवानिवृत्त हुए।

कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रम

हिंदी पखवाड़ा के प्रथम दिवस अपने विचारों से कार्मिकों का मार्ग दर्शन करते हुए प्रधान निदेशक महोदया

हिंदी पखवाड़ा के प्रथम दिवस उपस्थित अधिकारी गण

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन के कुछ दृश्य

काव्य पाठ हेतु आमंत्रित कवि

हिंदी काव्य पाठ के दौरान उपस्थित समूह अधिकारी एवं अन्य कार्मिक

हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ प्रधान निदेशक महोदया एवं समूह अधिकारी

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिता के विजेता

कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम

मैं उन लोगों में से हूं, जो
चाहते हैं और जिनका
विचार है कि हिंदी ही भारत
की राष्ट्रभाषा हो सकती है

-लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति
का सरलतम स्रोत है

-सुमित्रानंदन पंत

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	